राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना जिला सीकर

प्रारूप "ब"

देखिए नियम 9 (03)(04)(06)

क्रमांक / 2020 / राजस्व / 132 दिनांकः— 23.07.2020

—: संपरिवर्तन आदेश :—

आवेदक / प्रार्थीया **प्रगति शील समिति पाटन जरिये सचिव श्री बिनोद बिहारी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)** के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू. राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है : —

01	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता / पति के नाम सहित पूरा पता	**प्रगति शील समिति पाटन जरिये सचिव श्री बिनोद बिहारी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)**
02	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नही
03	(क) ग्राम / ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम पाटन ग्राम पंचायत पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
	(ख) भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टयर या वर्गमीटर)	ख.न. 253 / 1 रकबा 0.38 है0,ख.न.1436 / 216 रकबा 0.2950 है.,ख.न. 1460 / 253 रकबा 0.3560 है. में से 1.00 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर)	**ख.न. 253 / 1 रकबा 0.38 है0, ख.न. 1436 / 216 रकबा 0.2950 है. सम्पूर्ण एवं ख.न. 1460 / 253 रकबा 0.3560 है. में से रकबा 0.3250 है. अर्थात कुल 10000 वर्ग मीटर**
	टिप्पणीः—(अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संलग्न नक्शा ट्रेश में संपरिवर्तित रकबे को बरंग सुर्ख से दर्शाया गया है जो संपरिवर्तन आदेश का भाग है।
04	संपरिवर्तन का प्रयोजन	**संस्थानिक(शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ**
05	संदेय प्रीमियम की दर	डी.एल.सी दर का 10 प्रतिशत
06	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चालान संख्या 529 दि. 27.3.2017 राशि 38000 / —रू एवं चालान सं. 82 दिनांक 22.7.2020 राशि 42493 / —रू कुल 80493 / — राजकोष में जमा
07	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	शून्य
08	चालान की संख्या तथा तारीख सहित पैलन्टी यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	शून्य
09	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	नही

10. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अंध्यधीन होगा :—

THE SEAL OF THE SUB REGISTRAR SIKAR ★ PATAN ★

उप पंजीयक
पाटन

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

1. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सडक के मध्य से भूमि छोडकर संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमान के अनुरूप पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
3. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहूत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
4. नियम 04 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जावेगा।
5. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नही किया जावेगा।
6. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसरा सडक के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में समर्पित की गई भूमि में निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नही किया जावेगा।
7. राष्ट्रिय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से जाने के लिए रास्ता चाहे जाने पर सबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी।
8. प्रकरण में किसी प्रकार की देयता के सबंध में देय राशि भूमिधारक/आवेदक को तत्काल जमा करानी होगी अन्यथा नियमानुसार वसूली की जावेगी।
9. राजस्थान औधोगिक विकास निगम लिमिटेड के रूल्स 1979 के अनुसार संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य निर्धारित सैट बैक छोडकर ही करवाया जा सकेगा।
10. प्रदूषण नही फैलाया जाएगा। इस सबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी का पालन किया जावेगा।
11. संपरिवर्तित भूमि में से 40 प्रतिशत क्षैत्र सुविधाओं के रूप में खुला रखना होगा , जिस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करवाया जावेगा।
12. संपरिवर्तित भूमि का अनुमोदित नक्शा , अनिवार्य रूप से इस आदेश का पार्ट रहेगा।
13. हरित राजस्थान योजना के तहत बाउण्ड्री के सहारे–सहारे पेड लगाने होंगे एवं आवेदित भूमि से हटाए गए पेडो के एवज में तीन गुना पेड लगाने होंगे अन्यथा नियमानुसार 500 रूपये प्रतिवर्ष शास्ति लगाई जावेगी।
14. निर्मित भवन में बरसाती पानी संग्रहण ढांचा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बनाया जावेगा।

THE SEAL OF THE SUB REGISTRAR SIKAR ★ PATAN ★

प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना)
दिनाकः– 23.07.2020

क्रमांक/भूमि रूपा./2020/राजस्व/ 132–136
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
2. तहसीलदार नीमकाथाना को भेजकर लेख है कि संपरिवर्तन आदेश का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे।
3. आवेदक प्रार्थी प्रगति शील समिति पाटन जरिये सचिव श्री बिनोद बिहारी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0।
4. पटवारी हल्का, पाटन आदेशानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही संपादित करे।
5. संरपच, ग्राम पंचायत पाटन।

प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उप पंजीयक
पाटन